बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

<u>आदेश</u>

पटना, दिनांक 02/04/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–03/2026–1172/ यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–20617/2025 (माधवानंद शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक–23.12.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

" ......Considering the limited nature of prayer being made by learned counsel for the petitioners, this writ application is disposed of granting liberty to the petitioners to file a fresh detailed representation before the Director, Primary Education, Government of Bihar, Patna within one month from today and if such a representation is filed within the stipulated time then the Director, Primary Education, Government of Bihar, Patna is directed to dispose of the same on merit within a further period of three months from the date of receiving the representation, after giving an opportunity of hearing to the petitioners. Needless to emphasize that the final order which shall be passed by the Director, Primary Education, Government of Bihar, Patna should be a reasoned and speaking order. It is made clear that in case, the petitioners are found entitled to the relief which they would be claiming through the fresh representation, the same should be extended to the petitioners as expeditiously as possible preferably within a further period of three months from the date of passing of the final order....."

3. उक्त पारित आदेश के आलोक में दिनांक–27.01.2026, 02.02.2026 तथा 23.02.2026 को अधोहस्ताक्षरी स्तर पर सुनवाई निर्धारित की गयी जिसमें वादीगण का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। विभाग का पक्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा रखा गया।

4. वादीगण का दावा प्रशिक्षण चर्या पूर्ण होने की तिथि यथा दिनांक 31.05.2001 के प्रभाव से मैट्रिक प्रशिक्षित निर्धारण करते हुए परिणामी वित्तीय लाभ के साथ–साथ वरीयता को उक्त तिथि से ही अक्षुण्ण रखने से संबंधित है।

5. वादीगण का दावा का आधार माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 16165/2019, सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 7006/2024 एवं सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 7938/2020 (इससे उद्भूत एल0पी0ए0 संख्या 456/2021) में पारित आदेश, म तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया के कार्यालय से निर्गत आदेश ज्ञापांक 383 दिनांक 03.04.2025 है। वादीगण का दावा है कि उनकी परिस्थिति उक्त वाद एवं आदेश से आच्छादित शिक्षकगण के समान है।

6. उक्त सुनवाई में वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये पक्ष, जिला शिक्षा शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा उपस्थापित पक्ष एवं संगत अभिलेखों/कागजातों के अवलोकनोंपरान्त निम्नांकित तथ्य दृष्टिगत हुए :–

(i) बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में वर्णित प्रावधान के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से बेगूसराय जिलान्तर्गत राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान के पद पर सहायक शिक्षक के रूप में वर्ष 1999–2000 में की गयी थी। वादीगण नियुक्ति के समय अप्रशिक्षित थे।

(ii) वर्ष 2000–2001 में वादीगण को एक वर्षीय सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया। प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 31.05.2001 को वादीगण को मूल विद्यालय में योगदान हेतु विरमित किया गया।

(iii) उक्त प्रशिक्षणचर्या से संबंधित परीक्षा का आयोजन वर्ष 2004 में किया गया और परीक्षाफल का प्रकाशन दिनांक 20.06.2005 को किया गया। प्रशिक्षित वेतनमान परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि यथा दिनांक 20.06.2005 से स्वीकृत किया गया।

(iv) उच्च योग्यता के आधार पर मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान की स्वीकृति एवं प्रशिक्षणचर्या से संबंधित परीक्षा तथा परीक्षाफल प्रकाशन में विलम्ब के कारण प्रशिक्षित वेतनमान में विलम्ब आदि से संबंधित वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किये गए। इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल0पी0ए0 संख्या 412/2003 में दिनांक 23.09.2010 एवं उक्त आदेश में मोडिफिकेशन के लिए दायर एम0जे0सी0 संख्या 4075/2011 में दिनांक 08.08.2012 को पारित आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 13734/2012 एवं अन्य समरूप वादों में दिनांक 30.01.2013 को पारित आदेश को ध्यान में रखकर अद्यतन संकल्प संख्या 12 दिनांक 05.01.2015 निर्गत है। इसमें अंकित है कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली 1991 के अन्तर्गत दिनांक 05.09.1997 के उपरांत नियुक्त उच्च योग्यताधारी अप्रशिक्षत शिक्षक जिन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 2004 में सम्मिलित होकर प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण हुए, उन्हें दिनांक 01.10.2003 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाय। उक्त सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–20617/2025 से संबंधित वादीगण इसी श्रेणी के शिक्षक हैं।

(v) सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 16165/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2019 को पारित आदेश एवं इसके अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक 547 दिनांक 25.06.2020 से आच्छादित शिक्षक का नियोजन बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त नियमावली) 2012 के तहत अप्रशिक्षित शिक्षक के पद पर संबंधित नियोजन इकाई द्वारा किया गया था। इन्हें दो वर्षीय D.El.Ed. का सेवाकालीन प्रशिक्षण दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सत्र 2013–15, 2016–18 एवं 2017–18 में प्रदान किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सत्र 2013–15 में नामांकित अप्रशिक्षित शिक्षक जिनका प्रशिक्षण चर्या मई, 2017 में पूर्ण हो गया और मार्च, 2019 में प्रकाशित परीक्षाफल अंतर्गत उत्तीर्ण हुए, को प्रशिक्षण चर्या पूर्ण की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान् सशर्त्त स्वीकृत किया गया। सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 7938/2020 (इससे उद्‌भूत एल0पी0ए0 संख्या 456/2021) में भी वस्तुतः सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 16165/2019 में पारित आदेश को यथावत् रखा गया है।

अंकनीय है कि सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–20617/2025 से आच्छादित वादीगण का सेवाकालीन प्रशिक्षण का सत्र 2000–2001 अर्थात् एक वर्षीय था। इन्हें 01.10.2003 के प्रभाव से अर्थात् प्रशिक्षण सत्र के दो वर्ष के अंतराल पर प्रशिक्षित वेतनमान् स्वीकृत किया गया। इस

प्रकार इनका मामला सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 16165/2019 से आच्छादित वादीगण के समान नहीं है।

(vi) सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 7006/2024 में दिनांक 14.11.2024 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश "... In the event the petitioners file their representation within the stipulated period, the District Programme Officer (Establishment), Gaya (Respondent No. 7) shall examine the case of the petitioners in accordance with law and in light of the order dated 09.08.2019 passed by this Hon'ble Court in C.W.J.C. No. 16165 of 2019 and dispose of the representation of the petitioners, after hearing the parties, by a reasoned and speaking order, preferably within a period of ten weeks from the date of filing of the representation. If the claim of the petitioners is found genuine, all the admissible dues must be extended to the petitioners within a period of six months thereafter....."

उक्त न्यायादेश के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया कार्यालय का आदेश ज्ञापांक 383 दिनांक 03.04.2025 निर्गत किया गया जिसमें अंकित है कि "वादीगण को प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि (विरमन की तिथि) से Notional एवं दिनांक 01.10.2003 से वैचारिक लाभ की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि प्रतिकूल विभागीय आदेश के उपरांत यह आदेश प्रभावित होगा। साथ ही यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश से सिर्फ वादीगण पर लागू होगा। इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जाए।"

इस प्रकार उक्त आदेश को पूर्वोद्धारण मानते हुए इससे अन्य शिक्षकगण को आच्छादित नहीं किया जा सकता है।

(vii) वादीगण द्वारा विभागीय आदेश ज्ञापांक 571 दिनांक 13.06.2023 का संदर्भ अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किया गया। उक्त विभागीय आदेश से आच्छादित श्री कुलानंद मंडल की नियुक्ति कटिहार जिलान्तर्गत मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान् के विरूद्ध अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में दिनांक 17.08.1994 को की गयी थी। इनका सेवाकालीन प्रशिक्षण सत्र 1997–98 अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, टिकापट्टी से प्राप्त कर दिनांक 31.12.1998 को विरमित हुए। इनके प्रशिक्षण सत्र से संबंधित परीक्षा का आयोजन वर्ष 2004 में हुआ एवं परीक्षाफल का प्रकाशन 20.06.2005 को हुआ था। परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से इन्हें प्रशिक्षित वेतनमान् दिया जा रहा है। श्री कुलानंद मंडल का दावा था कि उन्हें सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 16165/2019 में पारित आदेश के सापेक्ष प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान् स्वीकृत करने का दावा किया गया। उक्त विभागीय आदेश ज्ञापांक 571 दिनांक 13.06.2023 द्वारा श्री कुलानन्द मंडल को प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि (विरमण की तिथि 01.01.1999) से Notional एवं परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि (20.06.2005) से वित्तीय लाभ की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अंकनीय है कि सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–20617/2025 से आच्छादित वादीगण की नियुक्ति 1999–2000 में हुआ था। इनका सेवाकालीन प्रशिक्षण का सत्र 2000–2001 था तथा इन्हें 01.10.2003 के प्रभाव से प्रशिक्षित वेतनमान् स्वीकृत किया गया। इस प्रकार इनका मामला विभागीय आदेश ज्ञापांक 571 दिनांक 13.06.2023 से आच्छादित शिक्षक श्री कुलानन्द मंडल के समान नहीं है।

7. उक्त तथ्यों के अवलोकन एवं समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–20617 / 2025 से आच्छादित वादीगण को विलंब से परीक्षा संचालन एवं परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि यथा दिनांक 20.06.2005 को ध्यान में रखते हुए परीक्षाफल प्रकाशन के पूर्व की तिथि यथा दिनांक 01.10.2003 के प्रभाव से प्रशिक्षित शिक्षक स्वीकृत है। साथ ही वादीगण का दावा जिन वादों / विभागीय आदेश पर आधारित है, वह वादीगण की परिस्थिति से भिन्न है। अतः वादीगण का दावा अनुमान्य नहीं होने के कारण इनके दावे को अस्वीकृत किया जाता है। इस अभिमत के साथ वादीगण के अभ्यावेदन को इस स्तर से निस्तार किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–07 / मु0–01–03 / 2026 1172 पटना, दिनांक 02.04.26

प्रतिलिपिः– 1. Madhawa Nand Sharma Son of Late Damodar Sharma, Resident of Village- Kharidi Matihani Rampur- Matihani, P.O. Matihani, P.S. Matihani, District- Begusarai, presently posted as Head Master in Government Middle School,Makardahee, Begusarai.
2. Jai Prakash Jyoti, Son of Late Kusheswar Paswan, Resident of Bagha, Yaspalnagar, Ward no-24, PO- Suhirdnagar, P.S. Lohiyanagar, District- Begusarai, presently posted as Head Master in Government Middle School,Sankh, Begusarai.
3. Ranjan Kumar Jha @ Ranjan, Son of Rajnikanth Jha, Resident of Villageand P.O. Birpur, P.S. Birpur, District-Begusarai, presently posted as Headmaster in Utkramit Middle School, Fazilpur, Begusarai.
4. Kumari Punam, Wife of Sunil Kumar Sinha, Resident of Papraur, PO- Papraur, P.S. Barauni, District- Begusarai, presently posted as Headmaster in Middle School, Masnadpur, Bihat Begusarai
5. Vijay Kumar, Son of Baleshwar Yadav, Resident of Village- Pipra Dewas, PO- Barauni P.S. Barauni, District- Begusarai, presently posted as Headmaster in Middle School, Bakhatpur, Begusarai.
6. Motilal Rajak, Son of Rajendra Rajak, Resident of Village- Mosadpur, PO- Barauni P.S. Barauni, District- Begusarai, presently posted as Head Master in Government Middle School Simaria, Barauni, Begusarai.
7. Kanhai Chandra Rai, Son of Jagdish Chandra Rai, Resident of Village and PO- Chakia, P.S. Chakia District- Begusarai, presently posted as TGT in Upgraded Middle School, Bihat-03, Begusarai
8. Ghanshyam Sah, Son of Baijnath Sah, Resident of Mahna, P.O. Mahna, P.S. Barauni, District- Begusarai, presently posted as Headmaster in Government Middle School, Chapki, Begusarai.
9. Rajesh Kumar, Son of Ram Badan Das, Resident of Ibrahimpur, Bihat P.O. Bihat, P.S. Barauni, District- Begusarai, presently posted as TGT in Utkramit Middle School Siswa, Barauni, Begusarai.
10. Prabhat Kumar, Son of Chandra Kumar Roy, Resident of New Colony Ulaw, PO- Ulaw, P.S. Singhual, District- Begusarai, presently posted as TGT in Upgraded Middle School, Sabaura, Barauni, Begusara.
11. Sudhir Kumar, Son of Yadunandan Singh, Resident of Village- Lakho, PO- Lakho, P.S. Lakho, District- Begusarai, presently posted as Headmaster in Upgraded Middle School, Manjhlapur, Begusarai

12. Indra Deo Singh, Son of Kailash Singh, Resident of Village Amarpur, PO- Chakia P.S. Chakiya, District- Begusarai, presently posted as Headmaster in Upgraded Middle School, Premchand Nagar, Barauni, Begusarai.
13. Manoj Kumar Singh, Son of Upendra Narayan Singh, Resident of Vill and PO- Mohanpur, P.S. Bakhri, District- Begusarai, presently posted as Headmaster, Government Middle School, Chakhamid Nandail, Bakhri, Begusarai.
14. Mithlesh Kumar, Son of Upendra Kumar, Resident of Village- Fatehpur Ward No- 13, P.O. Suhirdnagar, P.S. Singhual, District- Begusarai, presently posted as Headmaster, Upgraded Middle School, Phulkari, Barauni, Begusarai
15. Prem Kumar, Son of Wakil Rajak, Resident of Village- Bahadarpur, PO- Lakho P.S. Muffasil, District- Begusarai, presently posted as TGT in Upgraded Middle School, Kharidi North, Matihani Begusarai.
16. Dhananjay Kumar, Son of Jaijai Ram Jha, Resident of Amrour, PO- Singhual P.S. Muffasil, District-Begusarai, presently posted as Head Master in Govt. Middle School, Ratauli, Begusarai.
17. Homolal Mahendra, Son of Bindeshwari Mahato, Resident of Village- Fatehpur, P.O. Sadanandpur, P.S. Teghra, District- Begusarai, presently posted as Head Master in Upgraded Middle School, Tulsitol Balia, Begusarai.
18. Om Prakash, Son of Ram Charitra Rajak, Resident of Village- Hardia, PO- Rajaura P.S. Muffasil, District- Begusarai, presently posted as Headmaster in Upgraded Urdu Middle School, Karichak, Begusarai.
19. Raj Kumar Sah, Son of Natho Sah, Resident of Manopur, PO- Manopur, P.S.Bhagwanpur, District- Begusarai, presently posted as Head Master in Upgraded Middle School Urdu, Ninga, Begusarai.
20. Rajesh Kumar Choudhary, Son of Surendra Chaudhary, Resident of Phulwariya, PO- Barauni, P.S. Phulwariya, District- Begusarai, presently posted as TGT in Middle School, Asuraree, Begusarai.
21. Ashok Kumar Das, Son of Ramdeo Das, Resident of Baghi, Ward no 25, PO- Suhirdnagar, P.S. Muffasil, District- Begusarai, presently posted as Head Master, Upgraded Middle School, Sahuri Navin, Begusarai. को सूचनार्थ प्रषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–03 / 2026.......1172..........पटना, दिनांक......02.04.26.....

प्रतिलिपि–1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय एवं अन्य सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।